

**-:प्रेस नोट दिनांक 26.03.2021:-**

**थाना नवाबगंज जनपद बरेली ।**

**थाना नवाबगंज #bareillypolice द्वारा हत्या के अभियुक्तो 1.बुद्धसेन 2.बांधूराम को किया गिरफ्तार, अभियुक्तो की निशादेही पर मृतक के मोबाइल, एटीएम डीएल, आरसी आदि सामान व घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा जीप बरामद ।**

दिनांक 18.03.2021 को थाना नवाबगंज पर क्षेत्र का ग्राम अधकटा रब्बानी बेगम का भोलानाथ पुत्र होरीलाल गंगवार अपने मुकदमें की तारीख पर मा0 न्यायालय बरेली गया था लेकिन वह उस दिन वापस घर पर नहीं आया अगले दिन दिनांक 19.03.2021 को भोलानाथ की लाश थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम बरखन से क्योलड़िया जाने वाले मार्ग के किनारे मिली थी जिसके सम्बन्ध में मृतक की पत्नी धर्मा देवी द्वारा थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 113/2021 धारा 302 भादवि बनाम 1. प्रमोद कुमार पुत्र अनोखेलाल 2. रामप्रकाश 3. विवेक 4. अनिल पुत्रगण प्रमोद कुमार निवासीगण ग्राम ज्योति जागीर थाना क्योलड़िया जिला बरेली के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था । नामजदगी का आधार यह था कि विपक्षी प्रमोद कुमारी की लड़की पूनम की दहेज हत्या का मुकदमा मृतक भोलानाथ व उसके परिवारीजनो के विरुद्ध चल रहा था इसी रंजिश को आधार बनाकर वादिनी द्वारा अभियुक्तगण के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया था शुरू से ही नामजदगी संदिग्ध प्रतीत हो रही थी । **श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नवाबगंज महोदय** द्वारा घटना का सही अनावरण करके वास्तविक अभियुक्तो को जेल भेजने हेतु निर्देशित किया गया था इन्ही के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज धनन्जय सिंह के द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गयी दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आया कि विपक्षी प्रमोद की पुत्री पूनम की शादी मृतक भोलानाथ के छोटे भाई मोहनलाल से हुई थी शादी के करीब 03 वर्ष बाद वर्ष 2016 में मोहनलाल व उसके परिवारीजनो ने विपक्षीगण की पुत्री पूनम की हत्या कर दी थी जिसका दहेज हत्या का मुकदमा मा0 न्यायालय में विचाराधीन था उक्त दहेज हत्या के मुकदमें में मृतक भोलानाथ व उसके परिवारीजन विपक्षीगण प्रमोद आदि पर काफी दवाब बनाया जा रहा था लेकिन विपक्षीगण मानने को किसी भी शर्त पर तैयार नहीं थे। मृतक व उसके परिवारजनों को लगने लगा था कि उक्त मुकदमें में इन लोगो को सजा अवश्य हो जायेगी अतः मृतक भोलानाथ ने अपने दूर के रिश्तेदार बांधूराम पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम खमरिया गोपाडांडी थाना देवरनिया जिला बरेली व दोस्त बुद्धसेन पुत्र घासीराम निवासी ग्राम टेहरा थाना शीशगढ जिला बरेली से मिलकर विपक्षी रामप्रकाश पुत्र प्रमोद कुमार उपरोक्त की हत्या किये जाने की योजना बना लिये थे। आज से करीब डेढ माह पूर्व भोलानाथ द्वारा विपक्षी रामप्रकाश की हत्या कराने हेतु 50,000/- रूपये की सुपारी बांधूराम व बुद्धसेन उपरोक्त को दी गयी थी जैसे देने के बाद भोलानाथ बार बार रामप्रकाश की हत्या के लिए दवाब बना रहा था। ऐसे में बांधूराम व बुद्धसेन उपरोक्त को यह लगा कि यदि वे लोग रामप्रकाश की हत्या कर देगे तो रामप्रकाश के परिवारीजन मृतक भोलानाथ व उसके परिवारीजन के खिलाफ मुकदमा लिखा देगे और पुलिस की जांच के दौरान भोलानाथ हम लोगो का नाम ले लेगा ऐसे में अभियुक्तगण ने सोचा कि क्यो न भोलानाथ को ही हत्या कर दी जाए और इनके परिवारीजन को विश्वास में लेकर रामप्रकाश व प्रमोद के परिवारीजन पर अभियोग पंजीकृत करवा दिया जाए जिससे रामप्रकाश का भी दिमाग ठीक हो जाए तथा बाद में दोनो का समझौता कराकर रामप्रकाश के परिवारीजन से मोटा पैसा ऐठ लिया जाए व भोलानाथ के पैसो का भी गवन कर लिया जाए । इसी उद्देश्य से दिनांक 18.03.2021 को मृतक भोलानाथ को मा0 न्यायालय बरेली में तारीख के बाद योजनाबद्ध तरीके से अभियुक्त बांधूराम व बुद्धसेन व महिन्द्रा जीप नं0 यू0पी0 53 एटी 7948 के चालक द्वारा रईस अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम मकसूदनपुर थाना देवरनिया जिला बरेली के द्वारा सैटलाईट बस अड्डा बरेली से उक्त जीप में बैठाकर लाकर हाफिजगंज व नवाबगंज के बीच में अंगौछे से गला घोटकर हत्या कर शव को बरखन क्योलड़िया मार्ग पर सडक किनारे डाल दिया गया व मृतक भोलानाथ के मोबाइल व एटीएम डीएल, आरसी आदि को वही घटनास्थल से आगे झाड़ियो में फेक दिया गया जिसको अभियुक्तो की निशादेही पर बरामद कर लिया गया है तथा घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा जीप उपरोक्त को बरामद कर लिया गया है। तथा अभियोग में धारा 201 भादवि की बढोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। व फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. बुद्धसेन पुत्र घासीराम निवासी ग्राम टेहरा थाना शीशगढ जिला बरेली
2. बांधूराम पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम खमरिया गोपाडांडी थाना देवरनिया जिला बरेली

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

**बुद्धसेन पुत्र घासीराम निवासी ग्राम टेहरा थाना शीशगढ जिला बरेली**

- मु0अ0सं0 0113/2021 धारा 302, 201 भादवि थाना नवाबगंज जिला बरेली  
मु0अ0सं0 0149/2020 धारा 323, 324, 504 भादवि थाना शीशगढ जिला बरेली  
मु0अ0सं0 0359/2012 धारा 302, 506 भादवि थाना शीशगढ जिला बरेली  
मु0अ0सं0 0364/2012 धारा 25 आयुध अधि0 थाना शीशगढ जिला बरेली

**बांधूराम पुत्र छेदालाल निवासी ग्राम खमरिया गोपाडांडी थाना देवरनिया जिला बरेली**

- मु0अ0सं0 0113/2021 धारा 302, 201 भादवि थाना नवाबगंज जिला बरेली  
मु0अ0सं0 0139/2019 धारा 363, 366 भादवि थाना देवरनिया जिला बरेली

**फरार अभियुक्त का नाम व पता:-**

रईस अहमद पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम मकसूदनपुर थाना देवरनिया जिला बरेली

**बरामदगी का विवरण:-**

1 अदद शर्ट व रंग हल्की हरी, 02 अदद ATM ,1 अदद पाकेट डायरी,1 नीले रंग के प्लास्टिक के फोल्डर में DL, RC, वोटर कार्ड मृतक भोलेनाथ व 1 अदद मोवाइल मृतक भोलाराम का SAMSUNG DUOS-B1110E IMEI 354466080059319,354467080059317 जिसमें IDEA सिम लगी है

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक धनन्जय सिंह थाना नवाबगंज जिला बरेली
2. उ0नि0 श्री सिद्धान्त शर्मा थाना नवाबगंज जिला बरेली
3. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना नवाबगंज जिला बरेली
4. हे0का0 193 उग्रवीर सिंह थाना नवाबगंज जिला बरेली
5. का0 626 रेशमपाल सिंह थाना नवाबगंज जिला बरेली
6. का0 2961 राहुल कुमार थाना नवाबगंज जिला बरेली
7. का0 2864 हरिओम सैनी थाना नवाबगंज जिला बरेली

(धनन्जय सिंह)  
प्रभारी निरीक्षक  
थाना नवाबगंज, बरेली।

